राष्ट्रीय संस्करण

जोकोविक आठवीं बार बने चैंपियन >>14

वर्ष 3 अंक 237

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, सोमवार, 3 फरवरी 2020

दैनिक जागरण

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सरोकार

उत्तराखंड में स्वरोजगार की अलख जगाते दो युवा

उत्तरकाशी : उत्तराखंड के दो युवा वीरान होते घरों को संवारकर पहाड़ से पलायन रोकने की मुहिम में जुटे हैं। इन युवाओं ने 'माउंटेन विलेज स्टे' नामक संस्था बनाई है, जिसने धराली गांव में पुराने घर को संवारकर प्रीमियम विलेज स्टे शुरू किया है। (पेज-7)

जागरण विशेष

पंजाब में दो हजार साल पुरानी जड़ों की तलाश

लुधियाना : दो हजार साल पहले पंचनद (पंजाब) का तक्षशिला बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। देश के बंटवारे के बाद तक्षशिला पाकिस्तान में चला गया। अब इस क्षेत्र में महात्मा बुद्ध के शांति का संदेश देने के लिए राज्य का पहला बौद्ध विहार लुधियाना के कादियां गांव में बनाया गया है। (पेज-6)

रोकेंगे आम करदाताओं का उत्पीड़न : सीतारमण

कहा ▶ ऐसी काफी शिकायतों के बाद किया टैक्सपेयर्स चार्टर लाने का फैसला, ऐसा करने वाला चौथा देश बनेगा भारत

सामान्य विवादों में व्यक्तिगत पेशी होगी खत्म

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकार किया है कि पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार को उद्योगों व आम जनता की तरफ से टैक्स उत्पीड़न की काफी शिकायतें मिली हैं। खासतौर पर पिछला आम बजट पेश करने के बाद से इस बारे में शिकायतें बढ़ी हैं। यहां तक कि उद्योग जगत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकातों में भी आयकर अधिकारियों द्वारा मानसिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतें की हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान और बीते शनिवार को पेश आम बजट में आयकर की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर खास ध्यान दिया गया है ताकि आयकर उत्पीड़न को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके। इसी उद्देश्य से टैक्सपेयर्स चार्टर लाने का फैसला किया गया है। यह अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया में लागू नियमों के आधार पर होगा। सरकार की मंशा ऐसी व्यवस्था भी करने की है जिससे आयकर नियम उल्लंघन के सामान्य मामलों में करदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं होना पड़े।

वित्त मंत्री के स्तर पर पहली बार यह स्वीकार किया गया है कि आयकर विभाग के अधिकारी अपने स्तर पर करदाताओं का उत्पीड़न कर रहे हैं। हाल के महीनों में कई बड़े उद्यमियों ने भी परोक्ष या प्रत्यक्ष तौर पर ऐसी शिकायत की है। वित्त मंत्री ने कहा कि स्थिति को सुधारने के लिए वह लगातार कोशिश करती रही हैं। पिछले दिनों आयकर नोटिस में डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन नंबर (डीआइएन) जारी करने के आदेश के पीछे उद्देश्य यही था। सीतारमण ने कहा, 'अगर किसी आयकर दाता को ऐसा नोटिस मिला है जिसमें डीआइएन नहीं है तो मैं उसे कह रही हूं कि वह उसे रद्दी के टोकरी में फेंक दे। आयकर अधिकारी पूछें तो साफ बता दें कि डीआइएन नहीं था इसलिए रद्दी में फेंक दिया है।'

वित्त मंत्री के मुताबिक, पीएम की भी यही भावना है कि सामान्य करदाता जिस सम्मान का अधिकारी है, उसे वह मिलना चाहिए। टैक्सपेयर्स चार्टर का कायदा-कानून केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को तैयार करने को कहा गया है। इसकी सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें आयकर भुगतान करने वाले को संदेह की नजर से नहीं देखा जाएगा। इसमें एक व्यक्तिगत आयकर दाता के क्या अधिकार हैं, इसका साफ तौर पर विवरण होगा। साथ ही आयकर विभाग के दायित्वों व अधिकारों का भी विवरण होगा। इसमें करदाताओं की निजता की रक्षा व्यवस्था भी होगी और इस बारे में सरकारी विभाग की तरफ से उल्लंघन होने पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। आयकर दाता से जुड़ी सूचना कानूनी अनुमति के बगैर सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी। (विशेष सामग्री पेज-10, 11)

निर्मला सीतारमण फाइल फोटो

भारत में अर्जित आय पर ही टैक्स देंगे एनआरआइ

वित्त मंत्रालय ने यह साफ किया है कि प्रवासी भारतीयों की विदेश में होने वाली कमाई पर टैक्स (कर) लगाने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। आम बजट 2020-21 में जो प्रावधान किए गए हैं, वे इस बात के लिए हैं कि प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) की भारत में किसी कारोबार या किसी गतिविधि से कमाई होती है तो वह सिर्फ उस पर कर का भुगतान करें। मसलन, अमेरिका में रहने वाला एनआरआइ भारत में संपत्ति किराये पर देकर आय अर्जित कर रहा है तो उसे भारत में टैक्स देना होगा। उल्लेखनीय है कि 2020-21 के बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि अगर कोई एनआरआइ किसी दूसरे देश में कर नही देता है तो उसे भारत में कर देने योग्य माना जाएगा। इससे यह संदेश गया था कि टैक्स हैवन या विदेश में निवेश करने वालों को भारत में टैक्स देना पड़ेगा। इस बारे में वित्त मंत्रालय ने सफाई दी है कि दूसरे देशों में काम करने वाले भारतीयों पर टैक्स लादने की उसकी कोई मंशा नहीं है। मर्चेंट नेवी या दुबई जैसे खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीयों पर भी टैक्स लगाने का बजट में कोई प्रावधान नहीं है। सरकार ने प्रवासी भारतीय घोषित करने के नियमों को भी पहले से कठोर बना दिया है। अभी तक के नियमों के मुताबिक एक साथ 183 दिनों (छह महीने) तक बाहर रहने वाले को एनआरआइ माना जाता है लेकिन अब यह अवधि बढ़ाकर 245 दिनों की कर दी गई है।

महाराष्ट्र में लागू नहीं होने देंगे एनआरसी : उद्धव

राज्य ब्यूरो, मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि वह राज्य में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। यह बात उन्होंने अपने ही संपादन में प्रकाशित होने वाले शिवसेना के मुखपत्र सामना को दिए एक साक्षात्कार में कही है।

सामना के कार्यकारी संपादक और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार के सौ दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का साक्षात्कार लिया है। इसमें ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का बचाव किया। उन्होंने कहा, यह कानून किसी को देश से निकालने के लिए नहीं है, लेकिन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की शर्तें पूरी करना हिंदुओं व मुस्लिमों, दोनों के लिए मुश्किल होगा। इसलिए हम राज्य में एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। उद्धव का साक्षात्कार सोमवार, मंगलवार व बुधवार को तीन चरणों में प्रकाशित होगा। इसमें भाजपा से दोस्ती टूटने से लेकर कांग्रेस-राकांपा के साथ सरकार बनाने तक कई मुद्दों पर उद्धव के विचार सामने आएंगे। राज्य में नई सरकार बनने के बाद से शिवसेना-कांग्रेस के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ चुके हैं। उद्धव ने कई बार कहा है कि उन्होंने गठबंधन किया है, न कि धर्म परिवर्तन।

न्यूज गैलरी

महासमर ▶ पृष्ठ 2

केजरीवाल ने विकास के नाम पर झूठ फैलाया : शाह

नई दिल्ली : गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को राजधानी में संयुक्त रूप से चुनावी सभा की है। इसमें एनडीए के दोनों ही नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को निशाने पर लिया। अमित शाह ने केजरीवाल पर विकास के नाम पर दिल्ली में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। नीतीश ने कहा, पांच वर्षों में केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

महिलाओं से भेदभाव मामले में आज तय होंगे बहस के बिंदु

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश तथा विभिन्न धर्मों में औरतों के साथ भेदभाव के मुद्दे पर बहस के बिंदु तय करेगा। नौ सदस्यीय संविधान पीठ मस्जिद में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समाज में महिलाओं का खतना जैसे मुद्दों पर विचार करेगी।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

श्रीनगर के लाल चौक पर ग्रेनेड हमला, जवानों समेत नौ घायल

जम्मू : आतंकवादियों ने रविवार को श्रीनगर के लाल चौक में सुरक्षाबलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इसमें दो जवानों सहित नौ लोग घायल हो गए। सभी की हालत स्थिर बनी हुई है। हमले के बाद आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षाबलों ने अभियान चलाया हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

ईरान से तनाव कम करने को यूरोपीय यूनियन की पहल

तेहरान : यूरोपीय यूनियन के विदेश मंत्री जोसेप बोरेल सोमवार को ईरान का दौरा करेंगे। बोरेल के दौरे का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति को खत्म करना है। 2015 के परमाणु समझौते से अमेरिका के हटने व ईरान पर पाबंदी लगाने से हालात बिगड़े हैं।

हैदराबाद मुठभेड़ का हवाला दे केंद्र ने कहा, फांसी में देरी ठीक नहीं

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ निर्भया मामले में केंद्र की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला सुरक्षित

▶ मुकेश के वकील ने पूछा, आखिर केंद्र ने किस आधार पर दी चुनौती

निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर रविवार को करीब तीन घंटे तक चली सुनवाई के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। अवकाश होने के बावजूद रविवार को न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हैदराबाद में डॉक्टर के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपितों की मुठभेड़ का हवाला दिया और कहा कि निर्भया के दोषियों को फांसी में देरी ठीक नहीं है।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने घटनाक्रम का एक चार्ट पेश करते हुए बताया कि किन-किन दोषियों की याचिका बाकी है। उन्होंने कहा कि दोषी कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर एक दोषी 90 दिन के भीतर याचिका दाखिल नहीं करता है तो उसे फांसी देने से अधिकारियों को कोई नहीं रोक सकता है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। ऐसे में समाज व कानून के हित में है कि गुनहगारों की फांसी में और विलंब नहीं होना चाहिए।

इस पर न्यायमूर्ति सुरेश कैट की पीठ ने सवाल किया कि अगर मामले में चार दोषी हैं, जिनमें से दो के कानूनी विकल्प खत्म हो गए हों, लेकिन दो के पास बचे हैं तो क्या होगा। जवाब में मेहता ने कहा कि मामले में अन्य दो को फांसी दी जा सकती है। उन्होने बताया कि सह-आरोपित को तभी तक अलग से फांसी नहीं हो सकती, जब तक सुप्रीम कोर्ट में एक अपराध के सभी दोषियों की अपील पर फैसला नहीं हो जाता। जबकि यह नियम दया याचिका पर लागू नहीं होता।

तुषार मेहता ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपितों की हत्या का हवाला देते हुए कहा कि आरोपितों की मुठभेड़ में मौत को किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों ने इसका जश्न मनाया, क्योंकि समय से न्याय न मिलने से लोगों का भरोसा उठ गया है।

केंद्र सरकार की दलीलों का विरोध करते हुए अक्षय, विनय और पवन की तरफ से अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा कि सभी दोषी कानून में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक ही अपने बचाव के विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून की किसी भी किताब में कहीं दया याचिका दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। फिर सरकार को आपत्ति क्यों है?

दोषी मुकेश की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने मामले को टालने के आरोपों पर पूछा कि आखिर दिल्ली व केंद्र सरकार ने इस पर क्या किया। जॉन ने कहा कि निर्भया मामले में वर्ष 2018 से 31 जनवरी 2020 तक केंद्र सरकार पक्षकार ही नहीं है। लिहाजा केंद्रीय गृह मंत्रालय को याचिका दाखिल करने का अधिकार ही नहीं है। फिर केंद्र ने किस आधार पर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी।

उन्होंने कहा कि दोषियों की क्यूरेटिव पिटिशन और दया याचिका देरी होने के आधार पर नहीं खारिज हुई है, बल्कि यह मेरिट पर खारिज हुए है। ऐसे में केंद्र सरकार देरी होने की दलील नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि अगर दोषियों ने जघन्य से जघन्य अपराध किया है तब भी संविधान के तहत उन्हें मौलिक अधिकार दिया गया है। अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कहा कि आखिर जल्दी किस बात की है। मैं भारत के कानून के दायरे में सिर्फ कुछ दिन मांग रही हूं। बस चाहती हूं कि सभी दोषियों को उनकी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए।

भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया

▶ केरल के छात्र की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव निकली

▶ भारत ने चीन के लिए ई-वीजा की सुविधा फिलहाल रोकी

▶ वुहान से 323 भारतीयों का दूसरा दल लौटा, मालदीव के सात नागरिक भी साथ आए

▶ अपने नागरिकों को निकालने के लिए मालदीव ने भारत का आभार जताया

नई दिल्ली, एजेंसियां : भारत में कोरोना वायरस का दूसरा मामला सामने आया है। हाल ही में चीन से लौटे केरल के एक छात्र की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना वायरस के फैलाव को देखते हुए सरकार ने चीनी नागरिकों और वहां से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए फिलहाल ई-वीजा की सुविधा पर रोक लगा दी है। जबकि, चीन के वुहान से 323 भारतीयों का दूसरा दल रविवार को दिल्ली लौट आया है। इनके साथ मालदीव के सात नागरिक भी लौटे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुहम्मद सोलिह ने अपने नागरिकों को वुहान से निकालने के लिए भारत का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि यह दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट मित्रता और सौहार्द का उदाहरण है।

केरल के स्वास्थ्य मंत्री केके शैलजा ने बताया कि वुहान से लौटे एक छात्र की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पुणे स्थित भारतीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआइवी) ने टेलीफोन पर यह जानकारी दी। हालांकि, अभी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन दूसरे मामले की संभावना जताई गई है, इसलिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। 24 जनवरी को लौटे छात्र को अल्पूझा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। गौरतलब है कि केरल के त्रिशूर में ही कोरोना वायरस से संक्रमित पहला मामला सामने आया था। वुहान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाली छात्रा की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी।

इस बीच, बीजिंग में भारतीय दूतावास ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए चीन के लिए ई-वीजा की सुविधा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश चीनी पासपोर्टधारक और चीन में रहने वाले दूसरे देश के नागरिकों पर लागू है। जिन लोगों को ई-वीजा जारी किया गया है उसे भी अवैध घोषित कर दिया गया है। अब भारत आने के लिए दूतावास या वाणिज्य दूतावास से ही वीजा जारी किया जाएगा।

दूसरी ओर, एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से वापस लाए गए 323 भारतीयों को सेना और आइटीबीपी द्वारा स्थापित आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। अधिकारियों ने बताया कि अभी किसी में कोरोना वायरस की पुष्टि नहीं हुई है।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, 'एयर इंडिया की दूसरी फ्लाइट से आज 323 भारतीयों के साथ मालदीव के सात नागरिकों को भी वुहान से वापस लाया गया है। पड़ोसीपहले काम कर रहा है।'

चीन के कोरोना वायरस संक्रमित शहर वुहान से रविवार को नई दिल्ली पहुंचे 323 भारतीयों के दूसरे जत्थे की हवाई अड्डे पर चिकित्सकों ने इन्फ्रारेड थर्मामीटर के जरिए जांच की। एएनआइ

वायरस से संक्रमित दोनों छात्र एक-दूसरे के संपर्क में थे

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि केरल के जिस दूसरे छात्र को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है वह, पहले इस वायरस से पीड़ित पाई गई छात्रा के संपर्क में था। हर्षवर्धन ने कहा कि दोनों के मामलों की जांच में यह सामने आया है कि चीन में भी दोनों दो-तीन पहले से एक-दूसरे के संपर्क में थे।

कोरोना वायरस के लिए एक नमूने की जांच ही काफी : वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने नया निर्देश जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस की पुष्टि के लिए खून के एक नमूने की जांच ही काफी है, पहले दो जांच की बात कही गई थी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है। अधिकारी के मुताबिक डब्ल्यूएचओ के इस नए निर्देश से कोरोना वायरस की जांच से हो सकेगी।

चीन से लौटे भारतीयों के डांस का वीडियो वायरल पेज>>13

विदेशी सरजमीं पर तीसरी बार किया सूपड़ा साफ

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार को माउंट मौंगानुई में पांच मैचों की टी-20 सीरीज के पांचवें और अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड को सात रनों से हराकर 5-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। इसके साथ ही कोहली एंड कंपनी का साल 2020 में विजयी सफर जारी रहा। भारतीय टीम ने इस मैच में कप्तानी करने वाले रोहित शर्मा की 60 रनों की अहम पारी की बदौलत 20 ओवर में तीन विकेट पर 163 रन बनाए थे। जवाब में भारतीय टीम ने तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के तीन विकेट की बदौलत मेजबान टीम को 20 ओवर में नौ विकेट पर 156 रनों पर रोक दिया।

भारतीय टीम पांच मैचों की टी-20 सीरीज में सूपड़ा साफ करने वाली दुनिया की पहली टीम बनी है। विदेशी धरती पर भारतीय टीम ने तीसरी बार सूपड़ा साफ किया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज को उनके मैदानों पर टी-20 सीरीज में मात दी थी।

ऐतिहासिक जीत

▶ भारतीय टीम ने पांचवें मुकाबले में न्यूजीलैंड को दी सात रन से शिकस्त

▶ पांच मैचों की टी-20 सीरीज 5-0 से जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनी टीम इंडिया

23 टी-20 मुकाबले अपने घर में हार चुकी है न्यूजीलैंड की टीम। उसने घर में सबसे ज्यादा मैच हारने के श्रीलंका के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली

1983 विश्व कप फाइनल हारने के बाद जब वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी, तब उसने भारत का 5-0 से वनडे सीरीज में सूपड़ा साफ किया था। ठीक वैसा ही भारतीय टीम ने 2019 विश्व कप सेमीफाइनल हारने के बाद न्यूजीलैंड के साथ किया

न्यूजीलैंड को टी-20 में सीरीज में हराने के बाद ट्राफी के साथ भारतीय टीम। एपी

कांग्रेस का युवाओं से वादा, देंगे पांच हजार बेरोजगारी भत्ता

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में अब तक सुस्त चल रही कांग्रेस ने रविवार को पूरे उत्साह के साथ पहली बार एक साथ दो घोषणापत्र जारी किए। कांग्रेस ने दिल्लीवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने, बिजली बचाने पर कैश बैक, शीला पेंशन योजना के तहत बुजुर्गो- दिव्यांगों को पांच हजार रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। इतना ही नहीं युवा वर्ग को अपने साथ जोड़ने की मंशा के साथ बड़ा वादा किया है। पार्टी ने वादा किया है कि यदि राज्य में कांग्रेस को सत्ता मिली को युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत स्नातक युवाओं को 5,000 रुपये एवं स्नातकोत्तर युवाओं को 7,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी अपना घोषणापत्र पहले ही जारी कर चुकी हैं।

राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के उपनेता और आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन, प्रदेश महिला कांग्रेस की मुखिया शर्मिष्ठा मुखर्जी ने रविवार को प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से घोषणापत्र जारी किया। सुभाष चोपड़ा ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों को डीटीसी की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। ट्रांसजेंडर के लिए पेंशन योजना भी शुरू की जाएगी। चोपड़ा ने सभी अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के साथ ही लड़कियों को पीएचडी तक की मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया है। इतना ही नहीं पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की भी घोषणा की है। (पेज-2 देखें)

शोध का निष्कर्ष

लीची नहीं, स्क्रब टाइफस से हुई थी बच्चों की मौत

इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च के प्रोजेक्ट के तहत पीएमसीएच के वैज्ञानिकों के शोध में सामने आई यह बात, स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया से गई थी जान

नीरज कुमार, पटना

▶ कपड़ों से पैदा होने वाला बैक्टीरिया बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला रहा एईएस

▶ इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुकी है रिपोर्ट, 500 मरीजों पर हुआ था अध्ययन

बिहार, उत्तर प्रदेश और पड़ोसी राज्यों समेत नेपाल में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम (एईएस) फैलने का मुख्य कारण स्क्रब टाइफस नामक बैक्टीरिया से होने वाला संक्रमण है। यह बैक्टीरिया घरों में चूहों और अन्य छोटे जानवरों से फैलता है। उन्हीं से यह मनुष्य में आता है।

इंडियन मेडिकल काउंसिल रिसर्च (आइसीएमआर) के प्रोजेक्ट के तहत पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) के डॉक्टरों के रिसर्च में यह तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंटेंपरेरी पीडियाट्रिक्स में भी प्रकाशित हुई है।

मुजफ्फरपुर में गई थी 300 बच्चों की जान : पीएमसीएच में शिशु विभाग के अध्यक्ष और प्रोजेक्ट हेड डॉ. अनिल कुमार जायसवाल ने बताया कि पिछले साल गर्मियों में अकेले मुजफ्फरपुर में 300 से अधिक बच्चों की मौत हो गई थी। इसके पहले एईएस ने गोरखपुर में कहर बरपाया था। इस बीमारी के कारणों को लेकर पिछले छह माह से रिसर्च किया जा रहा था।

लीची से लेना-देना नहीं : आइसीएमआर प्रोजेक्ट के तहत पीएमसीएच के वैज्ञानिकों की टीम ने 500 से अधिक बीमार मरीजों का अध्ययन किया था। इनमें स्क्रब टाइफस बैक्टीरिया पाया गया, जिसका लीची से कोई लेना-देना नहीं है।

भूख से मौत की रिपोर्ट भी गलत : मुजफ्फरपुर में जिस समय बच्चों की मौत हो रही थी, उस समय कुछ डॉक्टरों ने इसे भूख से जोड़ा था। डॉक्टरों के का कहना था कि गरीब परिवार के बच्चे रात में भूखे सो जाते हैं और सुबह लीची खाते हैं इससे उनकी मौत हो जाती है, लेकिन पीएमसीएच की रिपोर्ट ने इस कारण को भी गलत बताया है।

कुछ दवाओं से उपचार संभव : पीएमसीएच के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि बिहार, उत्तर प्रदेश एवं आसपास के पड़ोसी राज्यों में फैलने वाले एईएस के उपचार में एजिथ्रॉल ग्रुप की दवाएं बेहतर काम करती हैं। पीएमसीएच में आने वाले बच्चों के उपचार में इन्हें कारगर पाया गया है।

प्रतीकात्मक फोटो

हापुड़ में नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता पर एसिड से हमला

जागरण संवाददाता, हापुड़

▶ पीड़िता का पैर झुलसा, विरोध करने पर स्वजनों के साथ की मारपीट

▶ आरोपित के परिजनों ने समझौते के लिए तैयार न होने पर हमला किया

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता पर आरोपित पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर तेजाब फेंक दिया। हमले में पीड़िता का पैर बुरी तरह से झुलस गया। हमलावरों ने विरोध करने पर पीड़िता के माता-पिता और भाई को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दुष्कर्म मामले में सात फरवरी को न्यायालय में पीड़िता के बयान दर्ज होने हैं। आरोपित उस पर समझौते के लिए दबाव बना रहे थे।

पीड़िता के पिता ने बताया कि 16 जुलाई, 2019 को बेटी के साथ गांव के दो युवकों ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को जेल भेज दिया था। दूसरा फरार है। उसी के स्वजन लगातार समझौते का दबाव बना रहे थे। रविवार सुबह आरोपित पक्ष के आठ-दस लोग अवैध हथियार लेकर घर में घुस आए और हमला बोल दिया। विरोध करने पर परिजनों को घायल करने के बाद दुष्कर्म पीड़िता पर तेजाब फेंक दिया। शोर सुनकर लोगों को जुटता देख आरोपित फरार हो गए। सूचना पाकर एएसपी सर्वेश कुमार मिश्रा व सीओ सिटी राजेश कुमार भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए। अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर पीड़िता से बातचीत कर उसका हाल जाना।

एएसपी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। विवाद कूड़ा डालने को लेकर हुआ है। पीड़िता व घायलों का उपचार चल रहा है।